

अध्याय – III

अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकार के विभागों, उनके क्षेत्र संरचनाओं के साथ–साथ स्वायत्त निकायों की संपादन लेखापरीक्षा से संसाधन प्रबंधन में कमियाँ एवं नियमितता, औचित्य और मितव्ययिता के मानकों के अनुपालन में विफलताओं के कई उदाहरण उजागर हुए। इन्हें कंडिकाओं के रूप में व्यापक विषय शीर्ष के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों की अवमानना

बेहतर वित्तीय प्रशासन और प्रभावी वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल वित्तीय अनियमिताओं को बाधित कर सरकार को प्रतिफल हानि से बचाता है बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद करता है। नियमों और विनियमनों की अवमानना जिसके परिणामस्वरूप सरकार को हानि हुई, पर कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, निम्नानुसार हैं :

सामाजिक प्रक्षेत्र शिक्षा विभाग

3.1.1 ब्याज की हानि

बैंक में निधियों के निवेश के प्रति बिहार इण्टरमिडिएट शिक्षा परिषद के अविवेकपूर्ण तथा अनुचित वित्तीय प्रबंधन से ₹ 52.13 लाख ब्याज की हानि हुई।

बिहार इण्टरमिडिएट शिक्षा परिषद (बि.इ.शि.प.) (परिषद) अधिनियम, 1992 के खंड 29 (4) (e) इस बात को विहित करता है परिषद की वित्तीय समिति, परिषद के वित्त को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर उन्हें सलाह देगी।

बि.इ.शि.प. के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2013) ने प्रकटित किया कि वर्ष 2007–12 के दौरान परिषद के पास लगभग इन सभी वर्षों में अधिकाई निधियाँ¹ थीं। जबकि लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि निवेश की नीति न होने कारण बि.इ.शि.प. द्वारा तात्कालीन दर से कम पर निवेश करने से, निवेश परिपक्वता से पूर्व नकदीकरण किए जाने तथा निवेश के अवरुद्धन के फलस्वरूप ₹ 52.13 लाख के ब्याज की हानि हुई।

निम्नलिखित वैसे मामले हैं जहाँ बि.इ.शि.प. के अविवेकपूर्ण तथा वित्तीय–लेखे के असंधारण कारण ब्याज की हानि हुयी।

- इलाहाबाद बैंक द्वारा (अक्टूबर 2009) ₹ 11.20 करोड़ के निवेश हेतु दो प्रस्ताव जारी किये गये। उनमें से पहला 7 प्रतिशत की दर पर एक करोड़ तक के

¹ (₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्राप्ति | खर्च | आधिक्य |
|---------|----------|-------|--------|
| 2007-08 | 39.67 | 17.14 | 23.53 |
| 2008-09 | 66.91 | 34.61 | 32.30 |
| 2009-10 | 69.02 | 29.32 | 39.70 |
| 2010-11 | 63.27 | 35.14 | 28.13 |
| 2011-12 | 75.20 | 42.05 | 33.15 |

निवेश के लिए था तथा दूसरा 5.75 प्रतिशत की दर पर एक करोड़ से अधिक की निवेश के लिए था। फिर भी बि.इ.शि.प. कम लाभ वाले द्वितीय प्रस्ताव को चुना। इस प्रकार निवेश के अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप ₹ 14,66² लाख के ब्याज की हानि हुई।

- सामान्य कोष से ₹ दो करोड़ की राशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में दिनांक 26 सितम्बर 2008 को एक वर्ष के लिए (26 सितम्बर 2009 तक) सावधि जमा प्राप्ति (एफ.डी.आर.)³ के रूप में जमा किया गया जिसकी परिपक्वता राशि ₹ 2,22,92,425.00 थी। निवेशित राशि को इसकी परिपक्वता तिथि से मात्र दो महीने पूर्व, दिनांक 26 जुलाई 2009 को निकासी कर ली गई जबकि चालू खाता में पर्याप्त राशि⁴ उपलब्ध थी। परिपक्वता से पहले नगदीकरण को सही साबित करने हेतु अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप परिषद को ₹ 10.12 लाख की हानि उठानी पड़ी।
- परिषद ने इलाहाबाद बैंक में तीन खातों⁵ संधारित किया था जो अपरिचालित (मई 2007) हो गये थे और पुराने खातों के स्थान पर तीन नए खाते⁶ खोले (मई 2004) गये थे लेकिन पुराने खातों में पड़ी ₹ 53.74 लाख⁷ की शेष राशि को न तो नए खातों में स्थानान्तरित किया गया और न ही पुराने खातों को बंद किया गया एवं शेष राशि पाँच वर्षों से ज्यादा समय (जुलाई 2007 से जनवरी 2013) तक अवरुद्ध रही। अगर उपलब्ध राशि को सावधि जमा में निवेश किया गया होता तो परिषद, ब्याज की तात्कालीन दर⁸ पर ब्याज के रूप में ₹ 27.35 लाख प्राप्त करता (परिशिष्ट 3.1)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, परिषद ने इस मामला को संबंधित बैंक के साथ उठाया (17 जनवरी 2013) और लेखा परीक्षा द्वारा बताए जाने पर पुराने खातों में पड़ी शेष राशि ₹ 53.74 लाख की निकासी कर सावधी जमा⁹ में तब्दील (21 जनवरी 2013) कर दिया।

मामला परिषद को (मई 2013 तथा जुलाई 2013) सूचित किया गया। परिषद ने जवाब (जून 2013) में कहा कि मामलों को बैंक के साथ क्षतिपूर्ति मुआवजा हेतु उठाया गया।

जवाब रवीकार्य नहीं था क्योंकि संबंधित बैंकों को कई पत्र निर्गत करने के बावजूद राशि वापस (नवम्बर 2013 तक) नहीं की गई थी। अपरिपक्व निकासी के मामले में बैंक ने अपनी जिम्मेवारी अस्वीकार करते हुए बि.इ.शि.प. को जवाब में कहा कि अपरिपक्व नगदीकरण पर गणना करने में कोई चूक नहीं थी जबकि निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि के मामलों में बैंक नहीं ली।

² मूलधन – ₹ 112005511, दर = 7 प्रतिशत प्रति वर्ष, समय = 4 तिमाही
 $A=P(1+R/100)^T = ₹ 112005511(1+7/400)^4 = ₹ 120054118$
 बैंक द्वारा ब्याज के साथ जमा किया गया मूलधन (5.75 प्रतिशत वार्षिक दर से) = ₹ 118588033 / अतः, हानि = ₹ 120054118 – ₹ 118588033 = ₹ 14660085

³ एफ.डी.आर. संख्या. 266502, दिनांक: 26.09.2008

⁴ ₹ 2.02 करोड़ (सी.ए.-१: ₹ 57.95 लाख, सी.ए०-८: ₹ 32.92 लाख, सी.ए.-१३: ₹ 20.67 लाख, सी.ए.-६: 6353.₹ 90.19 लाख)

⁵ चालू खाता संख्या-०८, १३ और १४

⁶ चालू खाता संख्या-१७, १८ और १९

⁷ सी.ए०-८: ₹ 32.92 लाख, सी.ए.१३: ₹ 20.67 लाख, सी.ए.१४: ₹ 0.15 लाख

⁸ चालू दर-९ प्रतिशत वार्षिकी

⁹ एफ.डी.आर. संख्या:-50141327365, 50141327387, 50141327401

इस प्रकार ₹ 13,74 करोड़¹⁰ की आधिक्य राशि का अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, महत्वपूर्ण वित्तीय अभिलेखों को असंधारण और कार्यपालकों के उदासीन रवैया के कारण परिषद ₹ 5213 लाख¹¹ का ब्याज अर्जित करने से वंचित हुआ।

मामला सरकार को (जून 2013 और अगस्त 2013) सूचित किया गया; उनका जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

3.1.2 धान अधिप्राप्ति में अनियमितताएँ एवं सरकार को हानि

दस्तावित अभिलेखों एवं अनियमित भू-राजस्व रसीदों के विरुद्ध ₹ 2.37 करोड़ के धान की अधिप्राप्ति ने वास्तविक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने का उद्देश्य निरस्त हुआ। आगे, 2.14 करोड़ विवंटल धान जो कि मिल मालिकों को अग्रिम में दिये गये थे, के विरुद्ध 25.58 लाख विवंटल कस्टम्ड मिलिंग चावल की आपूर्ति नहीं की गई जिसके फलस्वरूप सरकार को ₹ 433.94 करोड़ की हानि हुई।

वास्तविक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य¹² उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग, बिहार सरकार ने एक अधिसूचना¹³ (दिसम्बर 2011) द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारिता साख समिति¹⁴ (पैक्स) के बिक्री केन्द्रों एवं बिहार राज्य खाद्य निगम¹⁵ (बि.रा. खा.नि.) के बिक्री केन्द्रों से वर्ष 2011–12 में धान की अधिप्राप्ति का निर्णय लिया। धान की अधिप्राप्ति बि.रा.खा.नि. पैक्स के माध्यम से किसानों द्वारा 15 नवम्बर 2011 से 30 अप्रैल 2012 के बीच एवं मिलरों द्वारा कस्टम्ड मिलिंग चावल (सी.एम.आर.) की आपूर्ति 15 नवम्बर 2011 एवं 15 अक्टूबर 2012, के बीच एफ.सी.आई. को किया जाना था। जिला में उप-विकास आयुक्त के सफल अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के तहत बि.रा.खा.नि. को धान की अधिप्राप्ति हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था।

(अ) दस्तावित अभिलेखों एवं अनियमित भू-राजस्व रसीदों के विरुद्ध धान की अधिप्राप्ति

प्रबंध निदेशक (प्र.नि.) बी.एस.एफ.सी. द्वारा जारी अतिरिक्त दिशा निर्देशों (नवम्बर 2010) के अनुसार जिला प्रबंधक/संबंधित केन्द्रों के अधिप्राप्ति-क्रय-प्रभारी को किसानों के भू-अभिलेख (खतियानी) की जाँच, जमीन के क्षेत्रफलों एवं स्थानीय मापदंडों¹⁶ के अनुसार आनुपातिक धान की उपज का मूल्यांकन कर अधिप्राप्त करना था एवं इसके अलावा इनके ब्यौरे को क्रय संचिका में दर्ज करना था।

बी.एस.एफ.सी. एवं रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के पैक्स के अभिलेखों के नमूना जाँच (दिसम्बर 2012) में यह पाया गया कि वर्ष 2011–12 में बी.एस.एफ.सी. एवं पैक्स

¹⁰ ₹ 11.20 करोड़ + ₹ 2 करोड़ + ₹ 0.54 करोड़

¹¹ ₹ 52.13 लाख (₹ 14.66 + ₹ 10.12 + ₹ 27.35 लाख)

¹² धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 10.50 प्रति विवंटल एवं उसका सी.एम.आर. ₹ 1903.13 प्रति विवंटल निर्धारित (दिसम्बर 2011) किया गया था।

¹³ सहकारिता विभाग, बिहार सरकार परिपत्र संख्या 5981 दिनांक 7 दिसम्बर 2011।

¹⁴ यह राज्य के प्रत्येक पंचायत में सहकारिता साख संचना समिति के अधीन एक प्रकार का सहकारिता समिति है। इसके प्रबंधन समिति में बिना सरकारी नामिती के स्थानीय किसान होते हैं। यह खाद, बीज, कृषि-यंत्र कीटनाशक इत्यादि के अलावा अत्यकालीन ऋण किसानों को मुहैय्या करता है। पैक्स के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर गैंडे और धान की अधिप्राप्ति की जाती है।

¹⁵ बी.एस.एफ.सी. को 2011–12 में धान अधिप्राप्ति हेतु नोडल एजेन्सी बनाया गया था।

¹⁶ यह वर्ष 2011–12 में सम्पूर्ण बिहार में क्षेत्रवार/जिलावार धान का औसत उत्पादन, जो कि 18 से 25 विवंटल/एकड़ तक था, पर आधारित था।

द्वारा 24994.4 किंवंटल धान की अधिप्राप्ति की गयी जिसमें से 16245.4 किंवंटल धान, जिसका मूल्य ₹ 1.75 करोड़ था, की अधिप्राप्ति जाली¹⁷, (₹ 1.10 करोड़) दस्तावेजित¹⁸ (₹ 0.20 करोड़) एवं अनियमित¹⁹ भू-राजस्व रसीद (₹ 0.45) पर की गई (परिशिष्ट 3.2)।

इसी प्रकार जिला सहकारिता पदाधिकारी (जि.स.पदा.) एवं राज्य खाद्य निगम, कैमूर के कुदरा प्रखंड के अभिलेखों के नमूना जाँच (दिसम्बर 2012) में पाया गया कि पैक्स द्वारा 5782 किंवंटल धान की अधिप्राप्ति, जिसका मूल्य ₹ 62,45 लाख था, गलत / जाली²⁰ भू-राजस्व रसीद पर की गई थी (परिशिष्ट 3.3)।

पृच्छा किये जाने पर (दिसम्बर 2012) चेनारी के अंचलाधिकारी²¹ द्वारा कहा गया कि धान खरीद से संबंधित दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गए एवं पूरी जिम्मेदारी प्रभारी क्रय केन्द्र में निहित थी। पैक्स के मामलों में उनके द्वारा कहा गया कि उजागर हुए अनियमितता को संबंधित राजस्व कर्मचारी (कर्मचारी) को अग्रसारित कर दिया गया था। दूसरी तरफ डी.सी.ओ. कैमूर (भम्भौ) ने कहा (दिसम्बर 2012) कि इस मामले का प्रतिवेदन अंचलाधिकारी, कुदरा द्वारा जाँचोपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

डी.सी.ओ., कैमूर द्वारा कोई भी सूचना आज तक प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 2013) समस्त प्रक्रिया के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की पूरी जिम्मेदारी उप-विकास आयुक्त में निहित थी।

इस प्रकार वास्तविक किसानों से धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान के सरकारी आदेश (दिसम्बर 2011) के मूल उद्देश्य की प्राप्ति, संबंधित पदाधिकारियों के तपतर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अभाव में, नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप गलत एवं दस्तावेजित अभिलेखों पर ₹ 2.37²² करोड़ के धान की अधिप्राप्ति हुयी।

(ब) सरकार को हानि

अधिप्राप्ति धान के मिलिंग हेतु प्रबंध निदेशक, बी.एस.एफ.सी. द्वारा विहित प्रोफार्मा पर बी.एस.एफ.सी. एवं राईस मिलरों के बीच एकरारनामा किया जाना था। एकरारनामा के उपबंध-2 के अनुसार मिलरों को अग्रिम के रूप में सी.एम.आर. भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को उपलब्ध कराना था एवं अग्रिम चावल की आपूर्ति के बाद बी.एस.एफ.सी. द्वारा मिलरों को आनुपातिक धान की मात्रा (67 यूनिट सी.एम.आर. के विरुद्ध 100 यूनिट धान) उपलब्ध करानी थी। प्रधान सविव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (खा.उप.सं.वि.), बिहार सरकार के आदेश (जनवरी 2012) के आलोक में एक विशिष्ट-कार्य पदाधिकारी को भी प्रक्रिया के अनुश्रवण, मूल्यांकन निरीक्षण एवं प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाना था।

बी.एस.एफ.सी. एवं जिला प्रशासन रोहतास के अधीन मिलरों की नमूना जाँच (दिसम्बर 2012) एवं सात²³ अन्य जिलों से सूचना—संग्रहण (मई एवं सितम्बर 13

¹⁷ जाली मामला वैसा मामला है जिनका जमीन का ब्यौरा/भू-राजस्व रसीद का विवरण रजिस्टर-II में दर्ज नहीं पाया गया।

¹⁸ दस्तावेजित मामले (दस्तावेजों से गलत रूप से छेड़छाड़ के मामले) वैसे हैं जहाँ जमीन के अभिलेखों के आँकड़ों में छेड़छाड़ हरतंदाजी/बदलाव किया गया है।

¹⁹ अनियमित मामले वैसे मामले हैं जिनमें एक ही जमीन के दो रसीद थे और वह जमीन पैक्स से संबद्ध नहीं थे।

²⁰ अलग अलग किसानों का एक समान भू-राजस्व रसीद था जो संभव नहीं था।

²¹ राजस्व विभाग का अंचल अधिकारी भू-अभिलेखों के रांधारण के लिए जिम्मेवार था।

²² ₹ 1.75 करोड़ + ₹ 0.62 करोड़ = ₹ 2.37 करोड़।

²³ भागलपुर, बक्सर, जमुई, खगड़िया, मोतीहारी, शेखुपुरा एवं सुपौल।

के बीच) में पाया गया कि 451 मिलरों एवं संबंधित बी.एस.एफ.सी., के बीच (जनवरी से मार्च 2012) एकरारनामा किये गये थे। हॉलांकि एकरारनामा की उपबंध-2 की अवहेलना तथा प्रावधानों के विपरित बी.एस.एफ.सी., ने मिलरों द्वारा अग्रिम में आनुपातिक सी.एम.आर. की मात्रा²⁴ (37.09 लाख किंवंटल) एफ.सी.आई. द्वारा प्राप्ति को सुनिश्चित किए बगेर ही प्रत्येक मिलरों से मात्र ₹ 50,000 की जमानत राशि लेकर 55.37 लाख किंवंटल धान मिल मालिकों को जारी कर दिया। आगे यह भी पाया गया कि मिलरों द्वारा केवल 28 लाख किंवंटल सी.एम.आर. की आपूर्ति एफ.सी.आई. को की गई थी जबकि बाकी 9.09 लाख किंवंटल (24.50 प्रतिशत) सी.एम.आर., जिसका मूल्य ₹ 173.18 करोड़ (**परिशिष्ट 3.4**) था, 30 अप्रैल 2013 तक 212 दोषी मिलरों द्वारा एफ.सी.आई. को सी.एम.आर. आपूर्ति की अंतिम तिथि दिनांक 30 अप्रैल 2013 तक बढ़ा दी गई थी। इसी बीच वर्ष 2012–13 के लिए धान की अधिप्राप्ति का मौसम शुरू²⁵ हो चुका था और समाप्त होने के करीब था (अक्टूबर 2013)।

जवाब में जिला प्रबंधक, बी.एस.एफ.सी., रोहतास ने बताया (मई 2013) कि वसूलनीय ₹ 73.30 करोड़ की राशि के लिए 78 चावल मिल मालिकों के विरुद्ध 'सर्टिफिकेट केस' एवं 12 चावल मिल मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिला प्रबंधक, मोतिहारी ने भी सूचित किया (जुलाई 2013) कि क्रमशः चार एवं दो चावल मिल मालिकों के विरुद्ध भी समान कार्रवाई की गई थी। जबकि जिला प्रबंधक जमुई ने स्वीकार किया (मई 2013) कि एकमात्र दोषी मिलर के विरुद्ध 'पी.डी.आर एक्ट' के तहत कार्रवाई की गई, वहीं जिला प्रबंधक बक्सर ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि सभी 95 दोषी मिलरों के विरुद्ध 'सर्टिफिकेट केस' एवं तीन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

आगे सम्पूर्ण बिहार के लिए (नवम्बर 2013) मुख्य अधिप्राप्ति पदाधिकारी, बी.एस.एफ.सी. द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर यह पाया गया कि वर्ष 2011–12 में राज्य के सभी 38 जिलों में चावल मिल मालिकों को कुल 2.14 करोड़ किंवंटल धान की आपूर्ति की गई। हॉलांकि आवश्यक 1.44 करोड़ किंवंटल सी.एम.आर. की आपूर्ति के विरुद्ध मिलरों द्वारा मात्र 1.18 करोड़ किंवंटल सी.एम.आर. ही एफ.सी.आई. को आपूर्तित किए गये जबकि शेष 25.58 लाख किंवंटल सी.एम.आर. जिसका मूल्य ₹ 486.79 करोड़ था, अभी भी 540 दोषी मिलरों से प्राप्त होना बाकी था। इसके लिए 110 मिलरों के विरुद्ध प्राथमिकी एवं 373 मिलरों के विरुद्ध 'सर्टिफिकेट केस' दायर किये गये थे तथा उनमें से ₹ 52,85 करोड़ की वसूली, दोषी मिल मालिकों से कथित रूप से की जा चुकी थी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बी.एस.एफ.सी. संसूचित व्यवस्था के एकरारनामा उपबंध एवं विभागीय अधिसूचना के अनुपालन में विफल रहे तथा आवश्यक जाँच एवं नियन्त्रण भी लागू करने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप मिलरों को अग्रिम के रूप में 2.14 करोड़ किंवंटल धान विमुक्त किया गया तथा 25.58 किंवंटल सी.एम.आर. की आपूर्ति एफ.सी.आई. को नहीं की गई जिसके कारण सरकार को ₹ 433.94 करोड़, की अनापेक्षित हानि हुई।

मामला सरकार को संसूचित किया गया (जून 2013) एवं स्मार-पत्र भी जारी किया गया (अगस्त 2013); मामला पुनः अक्टूबर 2013 में सरकार को संदर्भित किया गया। उनके जवाब अप्राप्त थे (दिसम्बर 2013)।

²⁴ 37.09 लाख किंवंटल चावल जो 55.37 लाख किंवंटल धान का 67 प्रतिशत।

²⁵ धान की अधिप्राप्ति 15 नवम्बर 2012 एवं 30 अप्रैल 2013 के बीच करनी थी एवं सी.एम.आर. की आपूर्ति 15 नवम्बर 2012 एवं 31 अक्टूबर 2013 के बीच की जानी थी।

आर्थिक प्रक्षेत्र

जल संसाधन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग

3.1.3 राजस्व की हानि

खतियानी नहीं तैयार करने, माँग नहीं करने एवं परिणामतः पाँच प्रमण्डलों के लाभार्थियों से पटवन की अवसूली की वजह से राजकीय राजकोष को वर्ष 2009–12 के दौरान ₹ 1.32 करोड़ की राजस्व हानि हुयी।

बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं निस्सरण नियम, 2003 के नियम 3.4 सहपठित जल संसाधन विभाग के आदेश (जूलाई 2012) के अनुसार सिंचित भूमि का ब्यौरा (सूदकार²⁶), कृषि भूमि की माप (खेसरा²⁷) और भू-स्वामी-वार जमीन का ब्यौरा (खतियानी²⁸) को प्रति वर्ष तैयार²⁹ करवाना था ताकि लाभार्थियों, जिन्हें सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा रहा था, से माँग उपरथापित कर पानी-दरों की वसूली की जा सके।

इस प्रकार, सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड क्षेत्र के लिये जिलादार/कनीय अभियंता (क. अभि.) द्वारा अमीन की मदद से एक स्थायी खतियानी तैयार की जानी थी। तदनुसार खेसरा और प्रमण्डल द्वारा संधारित सिंचित भूमि का ब्यौरा के आधार पर, जलापूरित भूमि का सूदकार तैयार करवाना था। तैयार किये गए सूदकार और खतियानी के आधार पर पानी के मूल्य की वसूली के लिये प्रमण्डल को माँग—सूची तैयार कर क्रियान्वित करना था। इसके अलावा, कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता को सूदकार का औचक निरीक्षण द्वारा सुनिश्चित करना था कि कोई भी सिंचित भूमि सूदकार में अलेखांकित नहीं रह गया हो।

तिरहुत नहर प्रमण्डल, मोतीहारी और बेतिया, सारण नहर प्रमण्डल, छपरा लघु सिंचाई प्रमण्डल, गया और सिंचाई प्रमण्डल, बौंसी के कार्यपालक अभियंता के कार्यालयों में सिंचित भूमि का विवरण और अभिलेखों के जाँच से उजागर हुआ कि इन प्रमण्डलों में वर्ष 2009–10 से वर्ष 2011–12 के दौरान 150770.60 हेक्टेयर खरीफ और रबी फसलों की सिंचाई की गयी थी। हाँलांकि यह पाया गया कि मात्र 95463.49 हेक्टेयर भूमि के लिये खतियानी तैयार किया गया था जबकि 55307.10 हेक्टेयर भूमि के लिए कोई खतियानी नहीं तैयार कराया गया था।

इस प्रकार सम्बन्धित विभागों ने अपने संबंधित प्रमण्डलों के माध्यम से सिंचित खरीफ और रबी फसलों के लिये ₹ 1.32 करोड़ के पटवनों की माँग नहीं उठाई जिससे वर्ष 2009–12 के दौरान उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट 3.5 और 3.6)।

अपने जबाव में सभी पाँच सम्बन्धित कार्यपालक अभियंताओं ने कहा (दिसम्बर 2012 से मई 2013) कि स्टाफ की कमी की वजह से, पूरे सिंचित भूमि के लिये खतियानी तैयार नहीं करवाया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि खतियानी कनीय अभियंता को अमीन के सहायता से कार्यपालक अभियंता की पूरे निगरानी में तैयार करवाना था और सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को सुनिश्चित करना था कि कोई भी सिंचित भूमि अलेखांकित नहीं रह जाए और उनका सूदकार भी तदनुसार निर्मित हो। आगे, सभी प्रमण्डलों में कनीय अभियंताओं की उपरिथति दर्शाती थी कि सम्बन्धित कार्यपालक अभियंताओं ने खतियानी तैयार करने और पटवनों की प्राप्ति के लिए माँग को रखने के

²⁶ सिंचित भूमि का ब्यौरा

²⁷ भू-स्वामीत्व के अनुसार सिंचित भूमि

²⁸ रवामित्व के अनुसार सिंचित भूमि का ब्यौरा

²⁹ खरीफ के लिये 30 नवम्बर, रबी के लिये 30 अप्रैल, गरमा फसल के लिये 15 जून सिंचाई विभाग के अनुसार

प्रति निष्ठापूर्वक प्रयास नहीं किया। इस प्रकार विभागों की उदासीनता के कारण राजकीय राजकोष को ₹ 1.32 करोड़ की राजस्व हानि का वहन करना पड़ा।

मामले सरकार को संदर्भित किये गये थे (मई और अगस्त 2013), उनके जबाब प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2013)।

उद्योग विभाग

3.1.4 ब्याज की हानि

निधियों के परिचालन संबंधी पुनर्रक्षित निदेश के पूर्व प्रचलित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किए जाने के कारण संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों द्वारा भूमि-बैंक-निधि को ब्याज-रहित खाते में रखने से विभाग को ₹ 4.64 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति (बी.आई.आई.पी.) 2006 की कंडिका 1.2 (vii) में की गयी परिकल्पना के अनुसार उद्योग विभाग, बिहार सरकार ने औद्योगिक एवं विकास योजनाओं हेतु भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई.डी.ए.) के अधीन कॉरपस/रिवॉल्विंग फंड के साथ भूमि बैंक की स्थापना (जुलाई 2006) किया। हाँलांकि विभाग ने मार्च 2011 के संकल्प द्वारा पाँच वर्षों के बाद भूमि अधिग्रहण तथा निरस्तीकरण के साथ प्रशासन तथा निधि के नियंत्रण की प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया। दिशानिर्देश के अनुसार जिलों को आई.डी.ए. द्वारा निर्गत राशि को संबंधित जिलों द्वारा योजनावार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज देय खाता में संधारित किया जाना था तथा इन जमा पर उद्भूत ब्याज, योजना के अभिन्न अंग होते।

उद्योग निदेशक (डी.आई.) का कार्यालय, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2012) एवं प्रबंध निदेशक, आई.डी.ए. और तीन जिला भू-अर्जन कार्यालयों (जि.भू.अ.का.), (पटना, वैशाली, गया) से एकत्रित सूचनाओं ने प्रकट किया कि भूमि बैंक योजना के तहत आई.डी.ए. ने ₹ 1119.81 करोड़ बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों (बियाडा) के साथ-साथ संबंधित जिला पदाधिकारियों को उपलब्ध कराए जिसमें से ₹ 1119.15 करोड़ (**परिशिष्ट 3.7**) विमुक्त किया गया। इसमें से, तीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों (जि.भू.अ.पदा.) (पटना, वैशाली, और गया) ने वर्ष 2006–11 के दौरान प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण (एल.ए.) के लिए ₹ 351.95 करोड़ की कुल निधि प्राप्त किया। तीन जि.भू.अ.पदा., ने दिशा निर्देश का उल्लंघन कर निधियों को चालू खातों³⁰ में रखा और अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि के अधिग्रहण पर ₹ 235.97 करोड़ खर्च किया एवं आगे शेष ₹ 115.98 करोड़ की राशि को अपने संबंधित चालू खातों में रहने दिया। इसके कारण मार्च 2012 तक ₹ 4.64 करोड़ के ब्याज की हानि हुई (**परिशिष्ट 3.8**)।

इसे झंगित किए जाने (नवम्बर 2012) पर उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग ने जवाब (नवम्बर 2012) दिया कि सरकार ने विशेष खाता में निधि को रखने के लिए कोई स्थायी दिशानिर्देश / निदेश नहीं दिया था।

³⁰ पटना:- (1) मध्य ग्रामीण बैंक, कंकडबाग, पटना-री./ए.-380 (2) इक्विरा बैंक, डाकबंगला, पटना- सी./ए.-912020040149714
वैशाली:- (1) इलाहाबाद बैंक, हाजीपुर-सी.ए.-1187
गया:- (1) पंजाब नेशनल बैंक, ए.पी. कॉलोनी, गया

उद्योग निदेशक का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय बैंक के ब्याज देय खातों में निधि रखने संबंधी अनुदेश विभाग के दिशा-निर्देश (मार्च 2011) में पहले ही दे दिया गया था।

हाँलांकि प्रधान सचिव ने अपने जवाब में कहा (नवम्बर 2013) कि वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी निर्देश (मार्च 2012) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में सभी परिचालित बैंक खातों को बंद कर देना था और राशि के साथ प्राप्त ब्याज को संबंधित कोषागारों में संर्बंधित व्यक्तिगत जमा खाता खोलकर जमा किया जाना था।

इस प्रकार, विभाग द्वारा बी.आई.आई.पी. के तहत भूमि बैंक योजना में कार्यान्वयन, देखरेख और वित्तीय रख-रखाव के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण सरकार को योजना निधि पर ब्याज की प्राप्ति नहीं होने के कारण ₹ 4.64 करोड़ की हानि हुयी।

3.2 औचित्य लेखापरीक्षा / आधिक्य / निरर्थक / अलाभकारी व्यय

लोक निधियों से व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य के सिद्धान्तों एवं सक्षमता से निर्देशित होता है। व्यय हेतु सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे व्यय करने में उन सभी समान सतर्कताओं को लागू करेंगे जो कि एक सामान्य व्यक्ति स्वयं के धन के संबंध में पहल करता है एवं प्रत्येक कदम पर वित्तीय आदेशों एवं सख्त मितव्ययिता को लागू करेंगे। लेखापरीक्षा ने औचित्य, अतिरिक्त एवं निरर्थक व्यय के मामलों को उजागर किया है जिनमें से कुछ निम्न वर्णित हैं:

सामाजिक प्रक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग

3.2.1 आधिक भुगतान

सफाई हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र को बताए बिना एकरारनामा करने, अपर्याप्त अनुश्रवण एवं एजेन्सी को समुचित सत्यापन के बिना भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 70.78 लाख का अधिक भुगतान हुआ जिससे सरकार को हानि हुई।

गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल (गु.गो.सि.अ.), पटना सिटी के भवन के अंदर एवं प्रांगण के भीतरी हिस्सों की सफाई बाहरी स्रोतों से करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति (जि.स्वा.स.) पटना ने संविदा (मार्च 2007) के आधार पर एक एजेन्सी³¹ को भवन के भीतर सफाई हेतु ₹ 0.07 प्रति वर्गमीटर/दिन एवं ₹ 2950 प्रति माह के दर से प्रांगण के भीतर सफाई करवाने हेतु कार्यादेश (अप्रैल 2007) निर्गत किया। कार्यादेश के अनुसार बाह्य एजेन्सी को अस्पताल के चिकित्सा-प्रभारी द्वारा सभी भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, जि.स्वा.स. के निर्देशानुसार (मई 2006), अस्पताल के उपाधीकार को सभी भुगतानों के सत्यापन हेतु एक कर्मचारी को पदस्थापित करना था जो सीधे बाह्य सेवाओं के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार होते।

गु.गो.सि.अ. के भवन एवं प्रांगण के भीतरी सफाई संबंधी अभिलेखों (अप्रैल 2012) की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:

- (i) जि.स्वा.स. ने प्रथम कार्य आदेश (अप्रैल 2007) के समय एजेन्सी के साथ किसी तरह का एकरारनामा नहीं किया और न ही शामिल क्षेत्र को विनिर्दिष्ट ही किया। बाद में, जि.स्वा.स. ने एजेन्सी के साथ, तीन वर्ष बाद अगस्त 2010 में, एकरारनामा किया और उसमें भी अस्पताल स्थापना के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया जिसकी सफाई की जानी थी।
- (ii) अभिलेखों³² के जाँच के क्रम में पता चला कि अस्पताल प्रांगण का कुल क्षेत्रफल 212165.10 वर्गमीटर था जिसमें आवासीय भवनों का क्षेत्र (134565.34 वर्गमीटर) और एक यक्षमा केन्द्र (1019.55 वर्गमीटर) शामिल था, जो गु.गो.सि.अ. के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता था। इस प्रकार सफाई के लिए प्रस्तावित कुल प्रभावी क्षेत्र मात्र ₹ 76580.21³³ वर्गमीटर ही आता था।
- (iii) आगे यह भी पाया गया कि सफाई हेतु कुल क्षेत्र जुलाई 2010 में घट कर

³¹ करपी ग्रामीण रामन्ध्य समिति, अरवल (गैरोसो)

³² भवन प्रमण्डल गुलजारबाग, पटना सिटी का मापी प्रतिवेदन, उपाधीकार, गुरुगो.सि.अ. अस्पताल, पटना सिटी द्वारा प्राप्त उत्तर एवं जो उपाधीकार, गुरुगो.सि.अ. अस्पताल द्वारा प्रधान सचिव को जारी (जून 2012) किया गया पत्र।

³³ भवन के अंदर शामिल कुल क्षेत्र: 48529.68 वर्गमीटर (मुख्य भवन), 17330.29 वर्गमीटर (प्रसव वार्ड), 9217.65 वर्गमीटर (बच्चा वार्ड एवं औषधि भंडार), 712.00 वर्गमीटर (रसोइं भवन), 790.59 वर्गमीटर (मातृ बाल कल्याण केन्द्र) = 76580.21 वर्गमीटर

50032.27 वर्गमीटर हो गए क्योंकि बच्चा—वार्ड—सह—औषधि भंडार (9217.65 वर्गमीटर) भवन निर्माण विभाग को जिर्णद्वार हेतु हस्तानांतरित कर दिया गया था और प्रसव वार्ड (17330.29 वर्गमीटर) जुलाई 2010 के बाद बंद कर दिया गया था।

- (iv) हॉलांकि एजेन्सी ने 13 अप्रैल 2007 से मई 2011 तक समस्त क्षेत्र (212165.10 वर्गमीटर) का दावा किया जिसके एवज में अस्पताल द्वारा मई 2011 तक ₹ 1.17 करोड़ का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2013 तक 76580.21 वर्गमीटर क्षेत्र की सफाई पर ₹ 70.78 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

इस प्रकार एजेन्सी को अप्रैल 2007 से मई 2011 के बीच ₹ 70.78³⁴ लाख का अदेय तथा अधिक भुगतान किया गया (परिशिष्ट 3.9)।

इसे इंगित (अप्रैल 2012) किए जाने पर, उपाधीक्षक, गु.गो.सि.अ. ने बताया (अप्रैल 2012) कि अभिलेखों के सत्यापन के बाद अधिक हुए भुगतान की वसूली की जाएगी और उच्चाधिकारियों के आदेशनुसार दोषी कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। असैनिक—शल्य—चिकित्सक—सह—सदस्य सचिव, जि.स्वा.सं., पटना ने बाह्य एजेन्सी को अप्रैल 2007 में किए गए प्रथम कार्यादेश और आगे के वर्षों (अगस्त 2010) में इसके साथ एकरानामा संपन्न करने के तथ्य को स्वीकार (जून 2012) किया। बाद में उपाधीक्षक, गु.गो.सि.अ. ने अस्पताल क्षेत्र की सफाई के लिये एजेन्सी को किये गये अधिक भुगतान के तथ्य को स्वीकार किया (जून 2012)। उसने यह भी स्वीकार किया कि एजेन्सी पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी एवं अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली भी लंबित थी (अक्टूबर 2013)।

इस प्रकार, सफाई हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र को बताए बिना एकरानामा किए जाने, अपर्याप्त अनुश्रवण एवं एजेन्सी को समुचित सत्यापन के बिना भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 70.78 लाख का अधिक भुगतान हुआ जिससे सरकार को हानि हुई।

मामला सरकार को सूचित (मई 2013) किया गया एवं अगस्त 2013 एवं अक्टूबर 2013 में स्मारित किया गया; उनके उत्तर अप्राप्त (दिसम्बर 2013) थे।

3.2.2 परिहार्य एवं अधिक भुगतान

बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के प्रावधान का अनुपालन नहीं होने, वित्तीय प्रबंधन के परिचालन दिशा—निर्देशों का उल्लंघन और व्यय के दौरान कड़ी मितव्ययिता लागू नहीं करने के कारण ₹ 1.20 करोड़ का परिहार्य एवं अधिक भुगतान हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) 2005 को नियम 442 विहित करता है कि एक सामान्य नीति के अन्तर्गत कोई भी सरकारी संपत्ति का बीमा नहीं कराया जाना है और उसके विरुद्ध कोई भी व्यय वित्त विभाग के पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम (मो.वा.अ.) 1988 के नियम 146 के अनुसार कोई व्यक्ति (वाणिज्यिक उद्यमों के साथ जुड़े हुए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार सहित) किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर वाहन का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह तीसरे पक्ष के जोखिम का बीमा न करा ले। इस प्रकार, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चलाए जाने वाले एम्बुलेन्स सहित सरकारी वाहनों के लिए तीसरे

³⁴ एजेन्सी को किया गया कुल भुगतान—कुल अनुदेय भुगतान = अधिक भुगतान (₹ 116.64 लाख – ₹ 45.86 लाख = ₹ 70.78 लाख)

पक्ष का बीमा आवश्यक था। स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत (जनवरी 2012) वित्तीय प्रबंधन के परिचलनात्मक दिशा—निर्देशों के उपबंध 5.5.3 के अनुसार राज्य स्वारथ्य समिति, बिहार (रा.स्वा.सं.बि.) द्वारा अपने परिसंपत्ति—पंजी में क्रय किए गए एम्बुलेन्सों को स्वारथ्य विभाग के इकाईयों³⁵ के पक्ष में हस्तांतरित दिखाना था और इसके अतिरिक्त रा.स्वा.सं.बि. को ऐसे परिसम्पत्ति (एम्बुलेन्स) के खोज—खबर रखने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, रा.स्वा.सं.बि. की भूमिका केवल एम्बुलेन्सों को खरीदकर उनके नामित इकाईयों को हस्तांतरित करने तक सीमित थी।

रा.स्वा.सं.बि. पटना के अभिलेखों (नवम्बर 2012) के नमूना जांच से यह ज्ञात हुआ कि रा.स्वा.सं.बि. ने राज्य में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के स्वारथ्य सेवाओं में विस्तार हेतु लागत—मुक्त एम्बुलेन्स सेवा प्रदान करने के लिए डी.जी.एस. एंड डी आधारित दरों पर एम्बुलेन्स खरीदने का निर्णय (जुलाई 2011) लिया।

तदनुसार, दर—निविदाएँ आमंत्रित (सितम्बर एवं अक्टूबर 2011) की गयीं तथा रा.स्वा.सं.बि. ने दो एजेन्सियों³⁶ से डी.जी.एस. एंड डी. दर प्रति इकाई, उनके बीमा, पथ—कर एवं पंजीकरण शुल्क सहित कुल ₹ 35.70 करोड़ में 484 एम्बुलेन्सों का क्रय (सितम्बर और अक्टूबर 2011) किया। एजेन्सियों को बीमा के विरुद्ध कुल ₹ 80.66³⁷ लाख का भुगतान (सितम्बर तथा दिसम्बर 2011) किया गया जिसमें तीसरे पक्ष के बीमा अंशदान का ₹ 10.34 लाख³⁸ शामिल था। चूंकि रा.स्वा.सं.बि. द्वारा क्रय किए गए वाहनों के लिए केवल तीसरे पक्ष के जोखिम का बीमा कराया जाना था, अतः व्यापक बीमा—अंशदान के साथ वाहनों का बीमा कराए जाने से बीमा शुल्क के विरुद्ध ₹ 70.32 लाख³⁹ का परिहार्य व्यय हुआ।

आगे संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि रा.स्वा.सं.बि. ने एजेन्सियों को उपरोक्त वाहनों के पथ—कर एवं पंजीकरण शुल्कों के विरुद्ध ₹ 63.16 लाख⁴⁰ का भुगतान किया था। जिला परिवहन कार्यालय, पटना के अनुसार कुल देय राशि मात्र ₹ 13.06 लाख⁴¹ थी। इस प्रकार रा.स्वा.सं.बि. ने एजेन्सियों को उक्त वाहनों के पथ—कर एवं पंजीकरण शुल्कों के लिए ₹ 50.10 लाख का अधिक भुगतान कर अदेय लाभ पहुँचाया।

इस प्रकार एजेन्सियों को अस्वीकार्य व्यापक बीमा तथा पथ—कर, पंजीकरण शुल्क के लिए 484 एम्बुलेन्सों पर क्रमशः ₹ 70.32 लाख का परिहार्य व्यय और ₹ 50.10 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

³⁵ स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यालय/परिवार कल्याण भंडार/सी.एम.डी./प्रा. रा.के./रा.रा.के. इत्यादि

³⁶ फोर्स ट्रैवलर (144 इकाईयों) के लिए प्रमोद मोटर्स तथा टाटा विंगर (340 इकाईयों) के लिए मौर्य मोटर

³⁷ टाटा विंगर के 340 अदद के लिए व्यापक बीमा अंशदान @ ₹ 17500/इकाई = ₹ 5950000 तथा फोर्स ट्रैवलर के 144 अदद के लिए व्यापक बीमा अंशदान @ ₹ 14690/इकाई = ₹ 2115360 कुल भुगतीत अंशदान (₹ 5950000 + ₹ 2115360) = ₹ 8065360

³⁸ टाटा विंगर के 340 इकाईयों का तीसरे पक्ष का अंशदान ₹ 2178/इकाई = ₹ 740520 तथा फोर्स ट्रैवलर के 144 अदद के लिये तीसरे पक्ष का अंशदान @ ₹ 2035 = ₹ 293040/कुल भुगतीत अंशदान (₹ 740520 + ₹ 293040) = ₹ 1033560

³⁹ अंतर ₹ 8065360 – ₹ 1033560 = ₹ 7031800

⁴⁰ टाटा विंगर के 340 इकाईयों @ ₹ 15400/इकाई = ₹ 5236000 तथा फोर्स ट्रैवलर के 144 इकाईयों का ₹ 7500/इकाई के दर पर = ₹ 1080000/एजेन्सी को कुल भुगतान ₹ (5236000 + 1080000) = ₹ 6316000

⁴¹ टाटा विंगर की 340 इकाईयों @ ₹ 3153 (पथ—कर ₹ 2353 + पंजीकरण ₹ 800) = ₹ 1072020 और फोर्स ट्रैवलर के 144 इकाईयों @ ₹ 1627 (पथ—कर ₹ 827 + पंजीकरण ₹ 800) = ₹ 234288/एजेन्सी को कुल भुगतान (₹ 1072020 + ₹ 234288) = ₹ 1306308

उत्तर में रा.स्वा.सं.बि. ने बताया (नवम्बर 2012) कि समय की कमी के कारण एम्बुलेन्सों की आपूर्ति का ठेका पैकेज दर पर दिया गया था। इसके अतिरिक्त रा.स्वा.सं.बि. ने बताया (अगस्त 2013) की वित्त विभाग, बिहार सरकार ने रप्ट रूप से बताया (फरवरी 2013) कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियम 146 (3) के अन्तर्गत रा.स्वा.सं.बि. को बीमा से छूट के प्रयोजन के लिए सरकार/राज्य परिवहन प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। वाहनों का बीमा एवं पंजीकरण वित्त विभाग से प्राप्त निर्देशों के आलोक में किया गया है और पथ—कर एवं पंजीयन शुल्कों पर किया गया अधिक भुगतान नहीं किया गया था। एजेन्सी को सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना अभी बाकी था। उत्तर में आगे बताया गया कि एम्बुलेन्सों का परिचालन सामान्यतः आकस्मिक, आवश्यक एवं प्राकृतिक विपदा की अवधि में होता है जिनमें दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। व्यापक बीमा द्वारा क्षतिग्रस्त/दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की तुरन्त मरम्मति, त्रुटी सुधार करके उनकों सेवाओं में लगाया जा सकता था। हाल ही में व्यापक बीमा के कारण ही बीमा कम्पनी से ₹ 3.67 लाख का मुआवजा प्राप्त हुआ। इस तरह व्यापक बीमा की वसूली, जिसे 13वीं शासी निकाय बैठक का अनुमोदन भी प्राप्त था, का प्रश्न ही नहीं उठता।

बताए गए कारण निम्न तथ्यों के आलोक में युक्ति संगत नहीं थे:

- मोटर वाहन अधिनियम 1988 के नियम 146 के अनुसार वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल, सरकारी वाहनों सहित, किसी भी वाहन के परिचालन हेतु तीसरे पक्ष का बीमा आवश्यक था। रा.स्वा.सं.बि. को वित्त विभाग ने कभी भी व्यापक बीमा कराने हेतु नहीं कहा था। इसके अलावा, रा.स्वा.सं.बि. द्वारा खरीदे गए एम्बुलेन्सों को अंततः स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की परिसंपत्ति⁴² बननी थी।
- उत्तर में वाहनों के पथ—करों एवं पंजीयन शुल्कों की उच्चतर दरों पर देयता के संबंध में कुछ नहीं कहा गया था। यह भी इंगित हुआ कि विभाग द्वारा पैकेज दरों की शर्तों का निष्ठापूर्वक जांच नहीं किया गया था।

इस प्रकार तीसरे—पक्ष का बीमा के बदले व्यापक बीमा का विकल्प चुनने तथा वास्तविक स्वीकार्य दरों के विरुद्ध पैकेज दरों पर वाहनों का पथ—कर तथा पंजीकरण शुल्कों के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़⁴³ का अधिक व्यय हुआ। मामले सरकार को संदर्भित किए गए (जून 2013) तथा बाद में स्मार पत्र भी जारी (अगस्त 2013) किया गया; उनके जवाब अप्राप्त (दिसम्बर 2013) थे।

⁴² स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशा—निर्देशों के उपबंध 5.5.3 के अनुराग।

⁴³ @ ₹ 6316000 – ₹ 1306308 = ₹ 5009692 + ₹ 70.32 लाख = ₹ 120.42 लाख या ₹ 1.20 करोड़

आर्थिक प्रक्षेत्र

पथ निर्माण विभाग

3.2.3 अपूर्ण पथ कार्यों पर निष्फल व्यय

संरेखन निष्पादित किए बगैर एवं विभाग द्वारा भू-अर्जित किए जाने से पूर्व कार्य प्रारंभ किये जाने के परिणामस्वरूप संवेदक द्वारा बीच में कार्य छोड़ दिया गया जिसके कारण अपूर्ण पथ कार्य पर ₹ 2.54 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

मत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (गोपनीय) के संकल्प संख्या 948 (जुलाई 1986) के अनुसार प्राक्कलन निर्माण के पूर्व एक समुचित सर्वेक्षण तथा स्थल सत्यापन किया जाना आवश्यक था तथा कार्य की तकनीकि स्वीकृति की प्रदत्तता, निधि के आबंटन की सुनिश्चितता एवं भू-अधिग्रहण, जहाँ आवश्यक हो, की पूर्णता के उपरांत निविदा निष्पादन की प्रक्रिया आरंभ की जानी थी।

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल (का.अभि. प.नि.प्र.), पटना सिटी के अभिलेखों के नम्बना जाँच के दौरान हमने पाया कि अगमकुँआ-कमलदाह पथ (लंबाई 2434 मी.)⁴⁴ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य, जिसका प्रशासनिक अनुमोदन (प्र.स्वी.) (अक्टूबर 2007) एवं तकनीकि स्वीकृति (तक.स्वी.) (मई 2008) ₹ 7.69 करोड़ (अक्टूबर 2011 में तकनीकी स्वीकृति ₹ 9.21⁴⁵ करोड़ के लिए पुनर्रक्षित) के लिए प्रदत्त थी, को एक अभिकरण⁴⁶ को कार्यारंभ से 15 माह के अंदर पूर्ण करने हेतु ₹ 4.67 करोड़ पर प्रदान (जुलाई 2008) किया गया था।

संवीक्षा ने आगे प्रकट किया कि मूल तक.स्वी. (मई 2008) में भू-अर्जन हेतु मात्र ₹ 3.16 करोड़ का प्रावधान किया गया था। हाँलांकि विभाग पथ-संरेखन एवं भू-अर्जन हेतु कुल आवश्यक भूमि को सुनिश्चित करने में विफल रहा। उसने निविदा आमंत्रण सूचना अथवा अनुबंध में भी पथ की वास्तविक लंबाई अधिसूचित नहीं किया था। संरेखन के बदलाव के साथ-साथ पथ की लंबाई⁴⁷ तथा अधिग्रहण की जाने वाली भूमि⁴⁸ के क्षेत्रफल में बदलाव आते रहा तथा भू-अर्जन पदाधिकारी ने, प्रमंडल/विभाग को निधि आबंटन हेतु पुनर्रक्षित प्रस्तावों⁴⁹ को भेजना जारी रखा। विभाग ने भू-अधिग्रहण के बिना ही कार्यारंभ (जुलाई 2008) की अनुमति प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2010 में संवेदक द्वारा बीच में ही कार्य रोक दिया गया। भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया नवंबर 2013 तक पूर्ण नहीं की गयी थी।

इसके अतिरिक्त अपूर्ण कार्य का परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन (मई 2012), जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में विवरणित है, के अनुसार कार्यान्वित मद-वार कार्यों में भी 810 मीटर के विस्तार में से मात्र 286 मीटर में ही कालीकरण स्तर तक कार्य की पूर्णता दर्शाया जबकि पथ के अन्य विस्तार (1624 मीटर) में कोई अलकतरा कार्य नहीं कराया

⁴⁴ पथ दो खंडों में निर्मित (क) लिंक पथ जिसकी लंबाई 810 मी लगभग थी (व्ह) जैन मंदिर से रा.उच्च पथ-30, लंबाई 1624 मी.; कुल लंबाई 2434 मी. या 2.434 कि.मी.

⁴⁵ कुल स्वीकृति (पुनर्रक्षित) : ₹ 9.21 करोड़, (पथ कार्यों हेतु : ₹ 4.431 करोड़; एवं भू-अर्जन हेतु : ₹ 4.78 करोड़)

⁴⁶ म. बंशीधर कर्स्टक्षन प्रा.लि. पतीला, मनेर, पटना

⁴⁷ मूलतः 2.005 कि.मी. से 2008 में 3.43 कि.मी. से 2.434 कि.मी.

⁴⁸ मूलरूपेण 11.15 एकड़ से 2008 में 8.64 एकड़, मई 2009 में 10.758 एकड़, जुलाई 2012 में

⁴⁹ 4.78 एकड़ तथा अगस्त 2012 में 1.26 एकड़ (सिर्फ निजी भूमि)।

तकनीकि स्वीकृत में मूलरूपेण ₹ 3.16 करोड़, मई 2009 में ₹ 39.23 करोड़, ₹ 26.74 मई 2011 में जुलाई 2012 में ₹ 36.97 करोड़ से अगस्त 2012 में ₹ 22.34 करोड़।

गया था। इस प्रकार, पथ का कोई भी विस्तार, जिसपर किसी भी एक किलोमीटर में कालीकरण स्तर तक कार्य कार्यान्वित था, यातायात हेतु खोला नहीं जा सका था। परिणामतः कार्य के पूर्ण परिमाण पर व्यय किया गया ₹ 2,54 करोड़ (**परिशिष्ट 3.11**) अपूर्ण कार्यों पर निष्फल साबित हुआ।

इसके अलावा, बिहार लोक कार्य विभागीय संहिता भाग—I, परिशिष्ट अ—10 भी पथ की (पूर्ण) लंबाई में मिट्टी कार्य तथा गिट्टी कार्य कराए जाने के बदले सीमित लंबाई में समस्त मद की पूर्णता के साथ कार्यान्वयन कराया जाना प्रावधानित करता था। निविदा आमंत्रण सूचना का उपबंध 17 में भी कालीकरण एस.डी.बी.सी.⁵⁰ कार्य की पूर्णता के उपरांत ही भुगतान किया जाना विहित किया था। तब तक संवेदक का दावा मान्य नहीं होना था।

हाँलांकि यह पाया गया कि विभाग ने कालीकरण/एस.डी.बी.सी. स्तर (0.286 कि.मी.) तक किसी विस्तार में कार्य—पूर्णता के उपरांत भुगतान करने के बदले संवेदक द्वारा कार्यान्वित कार्य के समस्त परिमाण के लिए ₹ 2.54 करोड़ (**परिशिष्ट 3.11**) के भुगतान की अनुमति प्रदान कर दी।

कार्यपालक अभियंता ने जवाब में कहा (दिसंबर 2012) कि उपलब्ध भूमि पर 1600 मीटर तक पथ निर्माण कर यातायात के लिए खोल दिया गया था। इस प्रकार निष्फल व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता था।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि कार्य का कार्यान्वयन, विभाग द्वारा समुचित सर्वेक्षण, स्थल जाँच या पथ संरेखन की सुनिश्चितता बगैर कार्य के ऑकलन से लेकर बिना भू—अर्जन के कार्यारंभ कराने तक, जो कि मंत्रिमंडल सचिवालय तथा समन्वय विभाग (गोपनीय) के संकल्प (सं. 948, जुलाई 1986) में विहित शर्तों के प्रतिकूल था, विभिन्न त्रुटियों से ग्रसित था। यहाँ तक कि भू—अर्जन पदाधिकारी द्वारा निजी भूमि के अधिग्रहण (1,267 एकड़) हेतु ₹ 22.34 करोड़ का नवीनतम प्रस्ताव को भी कार्यपालक अभियंता द्वारा सरकार को, प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के 54 माह⁵¹ के विलंब के बाद, अगस्त 2012 में अग्रसारित किया गया। इसके अलावा, कार्यपालक अभियंता का यह कथन, कि 1600 मीटर तक पथ निर्माण कर यातायात के लिए खोल दिया गया था, भी पूर्ण पथ विस्तार पर अलकतरा कार्य की पूर्णता के अभाव में, मान्य नहीं था क्योंकि कालीकरण कार्य (एस.डी.बी.सी.) मात्र 0.286 कि.मी. में कराया गया था। जबकि यह कार्य के कार्यान्वयन के प्रति विभाग की लापरवाही दर्शाता था, यह योजना में परिकल्पित जनसाधारण को इच्छित लाभ प्रदान करने में भी विफल रहा। इस प्रकार, अपूर्ण पथ—कार्यों पर ₹ 2,54 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2013) तथा पुनः स्मारित भी किया गया (अगस्त 2013), उसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2013)।

⁵⁰ सेमी डेन्स बिटुमिनस कंकीट

⁵¹ अगस्त 2008 में कार्याबंदन की तिथि से

जल संसाधन विभाग

3.2.4 व्यर्थ व्यय

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा अनुमोदित विनिर्देशनों की अवहेलना एवं कार्यान्वयन का समय पर आरंभ किए जाने के प्रति लापरवाही की वजह से विभाग को बह गए बेड़-बारों पर ₹ 5.79 करोड़ का व्यर्थ व्यय करना पड़ा। इसके अलावा बारंबार बाढ़ की वजह से होने वाले नुकसान को कम करने/रोकने के अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

बाढ़-प्रबंधन कार्यक्रम (एफ.एम.पी.) की कंडिका 4.6 के अनुसार सरकार को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जी.एफ.सी.सी.), भारत सरकार को नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय कार्यक्रम के तहत आवश्यक भूमि का अर्जन एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र सुनिश्चित करना था।

कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), बाढ़ एवं निस्सरण प्रमंडल (बा. एवं नि.प्र.), लालगंज के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसंबर 2011) ने प्रकटित कि एक कटाव निरोधी कार्य यथा गंडक नदी के तिरहुत तटबंध पर पहाड़पुर मनोरथ के पाँच एवं छः मीलों के बीच बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य, जिसकी ₹ 7.59 करोड़ के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (मार्च 2010) एवं ₹ 7.58 करोड़ के लिए तकनीकि स्वीकृति प्रदत्त थी, को एक अभिकरण⁵² को ₹ 7.99 करोड़ की लागत पर (मई 2010) तक कार्य पूर्ण करने हेतु प्रदान (अप्रैल 2010) किया गया। कार्य में निर्दिष्ट स्थल पर एक बोल्डर-रपर⁵³ एवं सोलह बोल्डर-बेड़-बार⁵⁴ का निर्माण किया जाना शामिल था जो कि तकनीकि सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) द्वारा (अक्टूबर 2009) तथा जी.एफ.सी.सी. भारत सरकार द्वारा फरवरी 2010 में अनुमोदित था।

अभिलेखों की संवीक्षा से आगे प्रकटित हुआ कि विभाग ने, भू-अर्जन प्रक्रिया आरंभ किए बगैर संवेदक को कार्यान्वयन करने को कहा (अप्रैल 2010)। इसके परिणामस्वरूप प्रभावित किसानों द्वारा जन-विरोध किया गया। तदनुसार कार्यपालक अभियंता, बा. एवं नि.प्र. लालगंज ने कार्य स्थल एवं विनिर्देशन को बदलते हुए 25 बेड़-बारों के निर्माण का प्रस्ताव दिया जिसमें समान प्राक्कलन तहत बोल्डर-रपर के स्थान पर नौ बोल्डर बेड़-बार शामिल थे। का.अभि. ने मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर द्वारा प्राप्त दूरभाष निर्देशनों (मई 2010) पर कार्य आरंभ करवाया (मई 2010)। मु.अभि. ने हाँलांकि अभियंता-प्रमुख (उत्तर), ज.सं.वि., पटना को मामला सूचित किया एवं उनके अनुमोदन की पृछा की। इस दौरान, संयुक्त सचिव, ज.सं.वि. ने जी.एफ.सी.सी. के अनुमोदन की प्रत्याशा में संशाधित कार्य को अनुमोदित (मई 2010) कर दिया। हाँलांकि पुनरीक्षित विनिर्देशन का कार्य न तो तकनीकि सलाहकार समिति द्वारा तकनीकि स्वीकृत था और न ही मार्च 2013 तक जी.एफ.सी.सी. द्वारा ही अनुमोदित किया गया था। यहाँ तक कि सशक्त समिति (एमपॉवर्ड कमिटी), भारत सरकार ने प्रस्ताव खारिज (मार्च 2013) कर दिया था। इस बीच, सितंबर 2010 तक कार्य पूर्ण कर दिया गया जिसपर ₹ 8.04 करोड़ का कुल व्यय हुआ।

⁵² मे. लालबाबू सिंह।

⁵³ स्पर सापेक्षिक रूप से वृहत् संरचना है जिसे नदी के बहाव को ढकेलने एवं उसके करंट को विस्थापित कर तटबंध की सुरक्षा हेतु नदी के काफी अंदर तक (200–250 मीटर) निर्माण किया जाता है।

⁵⁴ तट से करंट को विस्थापित करने एवं कटाव-रोधी प्रभाविता के कारण बेड़-बारों का निर्माण सधारणतया मध्यम एवं लघु नदियों पर किया जाता है। बेड़ की लंबाई साधारणतया 10–15 मी. होती है जिसका एक-तिहाई तट निमग्न होता है।

आगे यह भी पाया गया कि बिना स्पर के निर्मित 25 बेड—बारों में से, ₹ 5.79 करोड़ की लागत पर निर्मित 18 बेड—बार बाढ़ में (अगस्त—सितंबर 2011 के दौरान) बह गए। का. अभि., बा. एवं नि.प्र., लालगंज ने स्वीकार (दिसम्बर 2011) किया कि जनता द्वारा आपत्ति किए जाने पर बोल्डर स्पर का निर्माण नहीं किया जा सका।

हाँलांकि, विभाग ने अपने जवाब (सितंबर 2013) में बताया कि जबकि एफ.एम.पी.की कंडिका 4.6 के अनुसार राज्य सरकार भूमि एवं भू—अर्जन हेतु निधियाँ मुहैया कराने हेतु उत्तरदायी थी, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि अन्य परिस्थितियों में अगर भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती हो तो रथल—स्थिति के अनुसार कार्य—क्षेत्र नहीं बदला जा सकता था। साथ—साथ भू—अर्जन प्रक्रिया के लिए कम—से—कम 280 दिनों की आवश्यकता थी। अतः तीन माह में भू—अर्जन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती थी। उसने आगे कहा कि “सामान्यतः भूमि भू—स्वामियों की सहमति से उपलब्ध कराए जाते हैं और कार्यों का कार्यान्वयन कराया जाता है”। हाँलांकि अद्यतन मामले में स्थानीय लोगों की अनिच्छा एवं आंदोलन किए जाने तथा कम कार्यान्वयन अवधि के कारण कार्य के कार्य—क्षेत्र को परिवर्तित (अप्रैल 2010) किया गया जिसकी सूचना जी.एफ.सी.सी. को दी गयी। इस प्रकार, व्यय वैध एवं आवश्यक था जिसे व्यर्थ व्यय नहीं करार दिया जा सकता था।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि ‘बाढ़ सुरक्षा कार्य’ के अंतर्गत लगातार होने वाली समस्या के दूरगामी उपाय हेतु अग्रिम योजना के उपरांत विहित समय—सीमांतर्गत नियम निष्ठापूर्वक कार्य का कार्यान्वयन आवश्यक था। हाँलांकि विभाग ने एफ.एम.पी. दिशानिर्देशों की कंडिका 4.6 के उल्लंघन में भू—अर्जन सुनिश्चित किए बगैर मई 2010 में कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक को अप्रैल 2010 में कार्य सौंप दिया। इसके अलावा, बदले हुए विनिर्देशनों पर कार्य का कार्यान्वयन का टी.ए.सी. द्वारा तकनीकी स्वीकृती प्रदत्त नहीं था और न ही इसे सशक्त समिति अथवा जी.एफ.सी.सी. ने अनुमति प्रदान की थी।

इस प्रकार, जी.एफ.सी.सी. भारत सरकार के विनिर्देशनों की अवहेलना यथा बोल्डर स्पर के साथ बेड—बार का बनाया जाना, तथा कार्यान्वयन के समय पर आरंभ किए जाने के प्रति लापरवाही के परिणामस्वरूप विभाग को बह गए बेड—बारों पर ₹ 5.79 करोड़ का व्यर्थ—व्यय करना पड़ा। इसके अलावा बारंबार बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने/रोकने के अभीष्ट उद्देश्य की भी प्राप्ति नहीं की जा सकी।

3.3 अनियमित/परिहार्य/असमायोजित व्यय

किसी व्यय को अनियमित माना जाता है अगर उसके व्यय किए जाने में किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं मानकों से, जानबूझकर अथवा अन्य तरीके से, विचलन किया गया हो चूँकि यह कार्यपालक द्वारा प्रभावी अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। यह, इसके विपरीत, परिहार्य/अनौचित्यपूर्ण व्यय को प्रेरित करता है। ऐसी अनियमितताओं के कुछ मामले नीचे वर्णित हैं:

सामाजिक प्रक्षेत्र समाज कल्याण विभाग

3.3.1 अनियमित क्रय

सरकारी आदेश का उल्लंघन एवं जिला पदाधिकारी द्वारा उच्च दर का अनुमोदन किए जाने से ₹ 98.76 लाख के उपकरणों की खरीद में अनियमितताएँ हुई और ₹ 15.36 लाख का अधिकाई भुगतान हुआ।

वर्ष 2007–08 में मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना (मु.सा.यो.) का रूपांकन विकलांग व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पुनर्वास की सुविधा के लिए किया गया था। योजना में समाज कल्याण विभाग (विभाग) के माध्यम से लाभार्थियों (विकलांग) को विशेष उपकरण और कृत्रिम अंगों जैसे कि श्रवण यंत्र, तिपहिया साईकिल, बैसाखी और इस तरह के उपकरण का प्रावधान परिकल्पित था।

वर्ष 2007–12 के दौरान विभाग ने सहायक निदेशक (स.नि.), जिला समाज सुरक्षा कोषांग (जि.स.सु.को.) पटना को ₹ 1.60⁵⁵ करोड़ का आवंटन विशेष उल्लेख के साथ दिया कि संबंधित जिला पदाधिकारी विशेष उपकरण और कृत्रिम अंगों का क्रय भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिमको) कानपुर, सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उपक्रम, से औपचारिक अनुरोध करने के बाद करेंगे।

स.नि., जि.स.सु.को., पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच से उजागर (फरवरी 2013) हुआ कि स.नि. ने प्रस्तावित यंत्रों एवं उपकरणों के प्रस्तावित आकलन के लिए एलिमको से अनुरोध किया (मार्च 2008) जिसे एलिमको द्वारा भेज दिया गया (मार्च 2008)। एलिमको ने 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान पर तीन प्रतिशत के छूट का भी प्रस्ताव दिया। लेकिन जिला पदाधिकारी ने उपकरणों की आपूर्ति के लिए एलिमको को कोई आदेश जारी नहीं किया।

संविक्षा में आगे पाया गया कि जिला पदाधिकारी, पटना ने उपकरणों के खरीद की लिए लघु निविदा सूचना आमंत्रित (अक्टूबर 2008) किया। विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष उपकरण खरीदने के लिए उप-विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक क्रय समिति बनायी गई (दिसम्बर 2008) जिसमें मे. गुलाब स्मृति विकलांग पुनर्वास केन्द्र (गु.स्म.वि.पु. क.)⁵⁶, पटना को तकनीकी रूप से सही पाया गया और इसे क्रयादेश निर्गत (जनवरी 2009) कर दिया गया। जबकि यह पाया गया था कि विशेषकर पहिया कुर्सी और तिपहिया साईकिल के संदर्भ में गु.स्म.वि.पु.के. का दर एलिमको से काफी अधिक था। प्रतिष्ठान ने उपकरणों का आपूर्ति किया और विपत्र जमा किया (फरवरी 2009) जिसके

⁵⁵ 2007–08: ₹ 35.00 लाख + 2008–09: ₹ 33.00 लाख + 2009–10 ₹ 33.00 लाख + 2010–11: ₹ 33.00 लाख + 2011–12: ₹ 26.40 लाख = ₹ 160.40 लाख या ₹ 1.60 करोड़

⁵⁶ गु.स्म.वि.पु.के., बी.एस.टी.टी.आई.एन. (वैट) सं. 10131990006 के साथ वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार में पंजीकृत एक निजी निकाय थी तथा वर्ष 1860 का समिति पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत पंजीकृत थी जैसा कि अभिकरण द्वारा प्रस्तुत विपत्र में वर्णित है।

विरुद्ध वर्ष 2007–08 में ₹ 7,35 लाख का भुगतान किया गया। आगे यह पाया गया कि जिला पदाधिकारी, पटना ने बिना निविदा आमंत्रण के वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान ₹ 91,41 लाख मूल्य का उपकरण गु.स्म.वि.पु.के. से खरीद लिया।

इस प्रकार, सरकार के आदेश के उल्लंघन और उच्चतर दर को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹ 98.76 लाख के उपकरण का अनियमित क्रय और ₹ 15.36 लाख (**परिशिष्ट 3.12**) के अधिकाई भुगतान के कारण सरकार को हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने (फरवरी 2013) पर स.नि., जि.स.सु.को., ने कहा (फरवरी 2013) कि मामले की जाँच की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

अतः प्राधिकृत अभिकरण से अन्यत्र उपकरण के खरीद पर किया गया व्यय अनियमित था। हाँलांकि, विभाग ने एक जाँच आयोग का गठन (सितम्बर 2013) कर दिया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2013) और स्मार पत्र भी निर्गत किए गए (जुलाई 2013 और अक्टूबर 2013), लेकिन जवाब प्रतीक्षित है।

आर्थिक प्रक्षेत्र

पथ निर्माण विभाग

3.3.2 निम्न विनिर्देशनों पर पथ कार्य का निष्पादन

विभाग द्वारा वर्ष 2007 के यातायात गणना के आधार पर 2012 में निम्न विनिर्देशन पर शेष अलकतरा कार्य क्रियान्वित कराने के अविवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने के कारण ₹ 2.51 करोड़ के अवमानक कार्य का निष्पादन हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली बि.वि.नि. का नियम 9 यह विहित करता है कि प्रत्येक सरकारी सेवक, जो लोकनिधियों से व्यय करते हैं या व्यय प्राधिकृत करते हैं, वित्तीय औचित्यता के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होंगे और उनसे यह आशा की जाती है कि वह लोकधन में से किए जाने वाले व्यय के संबंध में वैसी सर्तकता बरतेंगे जैसा कि साधारण बुद्धिमत्ता वाला कोई व्यक्ति अपने निजी व्यय के संबंध में बरतता है।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), राष्ट्रीय उच्च पथ (एन.एच.) प्रमंडल, भागलपुर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत एक ही पथ (एन.एच.–80) के निकटवर्ती हिस्सों (कि.मी. 167 से 180 एवं कि.मी. 181 से 191) में उसी संरेखन में पड़ने वाले दो पथों के निर्माण कार्य के अभिलेखों के एक साथ नमूना जाँच (जून 2013) में पाया गया कि एन.एच.–80 के 167 से 180 कि.मी. में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, सितम्बर 2007 की यातायात–गणना⁵⁷ के आधार पर, एक अभिकर्ता⁵⁸ को ₹ 12.86 करोड़ में सितम्बर 2010 तक पूरा करने के लिए सौंपा⁵⁹ (जून 2009) गया। इस कार्य में 75 मि.मी. बिटुमिनस परत मोटाई का प्रावधान था जिसमें 50 मि.मी. बिटुमिनस मेकाडम (बी.एम.) एवं 25 मि.मी. अर्ध–घने बिटुमिनस कंक्रीट (एस.डी.बी.सी.) के अलावे 300 मि.मी. ग्रेन्यूलर सब–बेस (जी.एस.बी.) और 250 मि.मी. ग्रेन्यूलर बेस (जी.बी.) शामिल था।

फुटपाथ का रूपांकन यानि पृथक पथ के परतों का सितम्बर 2007 के यातायात–गणना के आधार पर सुनिश्चित तथा परिकलित की गई थी। संवेदक द्वारा कार्य के निष्पादन में विलम्ब करने एवं कार्य अनुसूची का पालन नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा बाद में कार्य को रद्द (सितम्बर 2011) कर दिया गया था। उस समय तक

⁵⁷ यातायात रूपांकन = 507

⁵⁸ मे. डी. के. इंजीनियरिंग एंड कन्सल्टेन्ट्स

⁵⁹ 2 एस.बी.डी. कि.मी./09–10

संवेदक को 15 चलते खाता (आर./ए.) विपत्रों के माध्यम से ₹ 6,30 करोड़ (49 प्रतिशत) का भुगतान किया गया था।

प्रमंडल ने इस दौरान उसी एन.एच.-80 के निकटवर्ती हिस्सा कि.मी. 181 से 190 कि.मी. के सुदृढ़ीकरण का कार्य का अनुबंध (मार्च 2011) एक अन्य अभिकरण (मे. एस. एण्ड पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर नई दिल्ली) के साथ एस.बी.डी. अनुबंध⁶⁰ द्वारा उच्चतर विनिर्देशनों पर कार्य के क्रियान्वयन हेतु किया जिसमें बिटुमिनस परत की मोटाई में वृद्धि 75 मि.मी. (पूर्ववर्ती में से) से 200 मि.मी. कर दी गयी थी जिसमें 150 मि.मी. घने बिटुमिनस मेकाडम (डी.बी.एम) परत पर 50 मि.मी. बिटुमिनस कंक्रीट (बी.सी.) का प्रावधान था जबकि जी.एस.बी. तथा जी.वी. परतें समान थीं। राष्ट्रीय राजमार्ग-80 के कि.मी. 190 पर अवरिथत मिर्जा चौकी खानों से भारी बाहनों के परिचालन के कारण जून 2009 के यातायात-गणना⁶¹ में यातायात घनत्व में कई गुण वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप रूपांकन एवं विनिर्देशनों में परिवर्तन आवश्यक हो गया था। इसके अलावा, 167 से 190 कि.मी. के बीच कोई पाश्वर पथ नहीं था।

हाँलांकि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एन.एच.-80 के कि.मी. 167 से 180 कि.मी. में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का शेष कार्य, 75 मि.मी. परत की मोटाई के पुराने विनिर्देशन पर, ₹ 8,60 करोड़ में समान अभिकरण को जुलाई 2013 तक पूरा करने हेतु प्रदान⁶² (जुलाई 2012) किया गया। अभिकरण को पाँच चलते खाता विपत्रों (मई 2013) के माध्यम से ₹ 6,65 करोड़ (77 प्रतिशत) का भुगतान किया गया था जिसमें ₹ 2,51 करोड़ राशि का क्रियान्वित बिटुमिनस कार्य भी शामिल था (परिशिष्ट 3.13)।

यातायात-गणना 2007 के बजाय यातायात-गणना 2009 के आधार पर जुलाई 2012 में शेष कार्य (167 से 180 कि.मी.) प्रदान करने का निर्णय अविवेकपूर्ण था जिसने बढ़े हुए यातायात भार के प्रति कार्य को कमज़ोर कर दिया। एक संयुक्त भौतिक सत्यापन⁶³ में भी प्रकट किया (जून 2013) कि कि.मी. 167 से 180 कि.मी. में कई स्थानों पर बिटुमिनस परत क्षतिग्रस्त हो गया था और पथ पर काफी गड्ढे बन गए थे। दूसरी ओर, कि.मी. 181 से 190 कि.मी. पथ का बिटुमिनस परत अक्षुण्ण और अच्छी हालत में था तथा दिसम्बर 2011 में इसके पूर्ण होने के बावजूद भारी यातायात सहन कर रहा था।



एन.एच. 80 का कि.मी. 167



एन.एच. 80 का कि.मी. 184

जवाब में कार्यपालक अभियंता ने कहा (जुलाई 2013) कि पथ की वर्तमान स्थिति वैसा ही थी जैसा कि लेखापरीक्षा के दिन (जून 2013) था। अपने लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुपालन प्रतिवेदन (अगस्त 2013), जो उप सचिव, पथ.नि.वि. को पृष्ठांकित था, में उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए तथ्य एवं प्रसंग

⁶⁰ सं. 1 एस.बी.डी. (एम) / 10-11

⁶¹ यातायात रूपांकन = 1581

⁶² एस.बी.डी. अनुबंध द्वारा (3 एस.बी.डी. (एम) / 12-13)

⁶³ 29 जून 2013 को रा. उच्चपथ प्रमंडल, भागलपुर के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं के साथ।

स्वीकार्य थे और लेखापरीक्षा के सुझावों एवं सिफारिशों के आलेक में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया था कि हाल ही के यातायात—गणना के आधार पर परत का रूपांकन करने के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पुनर्रक्षित प्राक्कलन को अनुमोदित कराया जाय, जिसकी प्रक्रिया चल रही थी।

इस प्रकार, विभाग द्वारा 2007 के यातायात—गणना के आधार पर निम्न विनिर्देशों पर वर्ष 2012 में शेष बिटुमिनस कार्य क्रियान्वित कराने के अविवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने के कारण ₹ 2,51 करोड़ के कार्य का अवमानक निष्पादन के अलावे लाभार्थियों को अभिप्रेत उद्देश्य में वंचित होना पड़ा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (जुलाई 2013) और उत्तरवर्ती स्मार—पत्र अगस्त 2013 में निर्गत किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2013)।

भवन निर्माण विभाग

3.3.3 अनियमित भुगतान

केन्द्रीय प्रायोजित योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यों में मूल्य निष्प्रभावन के भुगतान की अनियमित अनुमत्यता, यद्यपि यह केवल राज्य निधि से किए गए कार्य के लिए निर्धारित था, के परिणामस्वरूप राजकीय खजाने पर ₹ 62.27 लाख का अतिरिक्त भार पड़ा।

भवन निर्माण विभाग के संकल्प (जुलाई 2008) के अनुबंध 7 के अनुसार एफ—2 अनुबंध के अन्तर्गत जारी कार्य में स्टील और सीमेंट के बढ़ते/घटते मूल्य का मूल्य निष्प्रभावन मानक बोली दस्तावेज (एस.वी.डी.) के अनुबंध 10सी.ए./10सी.सी. में निर्धारित तरीके के अनुसार भुगतेय होगा और यह केवल राज्य निधि के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्य पर ही लागू होगा।

कार्यापालक अभियंता (का.अभि.), भवन निर्माण प्रमंडल, जहानाबाद के अभिलेखों के नमूना जाँच (फरवरी 2013) से उजागर हुआ कि जिला कारागार भवन, काको जहानाबाद के निर्माण का कार्य “कारा सुधार योजना” के अन्तर्गत किया गया था जो कि वर्ष 2003–04 का भारत सरकार (भा.स.) और बिहार सरकार (बि.स.) के बीच 75:25 के अनुपात में वित्त पोषित एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम था। परियोजना की प्रशासानिक स्वीकृति (सितम्बर 2004) गृह विभाग द्वारा ₹ 9.50⁶⁴ करोड़ के लिए (भवन निर्माण विभाग द्वारा मार्च 2011 में ₹ 18.38⁶⁵ करोड़ के लिए पुनर्रक्षित) और मुख्य अभियंता (रूपांकन), भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा ₹ 9.82 करोड़ के लिए (जुलाई 2009 में ₹ 11.04 करोड़ संशोधित) तकनीकी स्वीकृति दी गयी थी। रमझ्या कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को कार्य आवंटित (जुलाई 2006) किया गया। जून 2008 तक कार्य को पूरा करने के लिए अभिकरण के साथ ₹ 7.51 करोड़ का एक एकरारनामा क्रियान्वित (फरवरी 2007) किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे उजागर किया कि अवधि विस्तार (मार्च 2010) बीत जाने के ढाई वर्ष बाद निर्माण कार्य पूरा (दिसम्बर 2012) हुआ। जबकि यह पाया गया कि कार्य के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति में ही स्टील और सीमेंट के अतिरिक्त लागत के लिए ₹1.32 करोड़ का मूल्य निष्प्रभावन स्वीकृत (जून 2009) किया गया था। 15 वें और अंतिम लेखा विपत्र द्वारा अभिकरण को कुल ₹ आठ करोड़ (स्टील और सीमेंट पर ₹ 83.03 लाख का अतिरिक्त लागत शामिल) का भुगतान (दिसम्बर 2012) किया गया

⁶⁴ इसमें भूमि अधिग्रहण का ₹ 1.43 करोड़ शामिल था।

⁶⁵ इसमें भूमि अधिग्रहण का ₹ 1.43 करोड़ शामिल था।

(परिशिष्ट 3.14)। मूल्य निष्प्रभावन पर दिए गए ₹ 83.03 लाख में ₹ 62.27⁶⁶ लाख, जो कि 75 प्रतिशत (₹ 83.03 लाख का) था, केन्द्रांश का था। चूँकि भवन निर्माण विभाग के संकल्प (जुलाई 2008) के अनुसार एक-2 एकरारनामा के अंतर्गत जारी कार्य में मूल्य निष्प्रभावन केवल राज्य द्वारा वित्त पोषित कार्य पर लागू किया जाना था एवं भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित भाग पर मूल्य निष्प्रभावन के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं था, ₹ 62.27 लाख का किया गया भुगतान अनियमित तथा अस्वीकार्य था जिससे सरकार को हानि के साथ-साथ सरकार को राज्य निधि से अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

इसे इंगित किए जाने पर, उप-सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार ने अपने जवाब (अगस्त 2013) में बताया कि सीमेंट और स्टील पर अतिरिक्त लागत का भुगतान भवन निर्माण विभाग के संकल्प (संख्या 5633 (ब) दिनांक 17 जुलाई 2008) के अनुसार किया गया था जिसपर विधि और वित्त विभाग की सहमति प्राप्त थी और एस.बी.डी. के नियमानुसार था। भवन निर्माण विभाग ने सभी तथ्यों एवं दृष्टिकोणों को मानते हुए स्टील और सीमेंट के लिए मूल्य निष्प्रभावन को एस.बी.डी. मानकों के अनुसार प्रदान करने की अनुमति प्रदान किया था। तब से विभाग इस तरह की कई परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम हो सका। अगर यह निर्णय नहीं लिया गया होता तो कार्य अधूरा रह गया होता और योजनाओं के पुनर्रक्षण से विभाग पर अतिरिक्त भार पड़ा होता। आगे जवाब में यह उल्लेख किया गया था कि संकल्प ने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया था कि मूल्य निष्प्रभावन केवल वैसे कार्यों पर लागू था जो कि निर्धारित समय सीमा में पूरा किया गया हो। अतः भवन निर्माण विभाग के एस.बी.डी. मानकों के अनुसार किया गया भुगतान अनियमित नहीं था और स्वीकार्य था। मुख्य अभियंता-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार ने भी कहा (जनवरी 2014) कि केन्द्र प्रायोजित/राज्य योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में स्टील और सीमेंट का मूल्य निष्प्रभावन पर व्यय का वहन राज्य निधि से किया किया जा रहा था। ऐसे में केन्द्र सरकार से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने की कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि भवन निर्माण के संकल्प के उपबंध 7 विहित करता था कि मूल्य निष्प्रभावन का भुगतान केवल राज्य वित्त पोषित कार्यों पर ही लागू होगा। इसके अलावा, अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग ने भी कहा कि “मूल्य निष्प्रभावन का भुगतान उन्हीं योजनाओं के लिए मान्य था जो निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए गए थे।” जबकि वर्तमान मामले में मूल्य निष्प्रभावन का भुगतान कार्य पूर्णता में 33 माह के विलंब के बाद दिसंबर 2012 में किया गया था जबकि अवधि विस्तार 30 मार्च 2010 तक प्रदान की गयी थी।

अतः केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत क्रियान्वित कार्य में मूल्य निष्प्रभावन के भुगतान का अनियमित अनुमति दिए जाने, यद्यपि यह केवल राज्य निधि से कराए जा रहे कार्यों के लिए निर्धारित था, के परिणामस्वरूप राजकीय खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा जिसका कारण केन्द्रांश के आनुपातिक अंतर का राज्य निधि से ₹ 62.27 लाख अनियमित भुगतान किया जाना था।

⁶⁶

₹ 83.03 लाख का 75 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य यथा केन्द्रांश = ₹ 62.27 लाख

लघु जल संसाधन विभाग

3.3.4 परिहार्य भुगतान

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को बकाया विद्युत विपत्रों का भुगतान करने से पहले राजकीय नलकूपों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के माध्यम से वास्तविक दायित्वों को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 548 अक्रियाशील राजकीय नलकूपों के विरुद्ध ₹ 37.51 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

लघु जल संसाधन विभाग (ल.ज.सं.वि.), बिहार सरकार ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बि.रा.वि.बो.) को राजकीय नलकूपों के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए अवर सचिव (अ.स.) लघु जल संसाधन विभाग, पटना को वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 313.65 करोड़ आबंटिट⁶⁷ किया। आबंटन पत्र अन्य के अलावा यह भी विहित करता था कि भुगतान चालू वित्तीय वर्ष (2010–11) के कार्यशील राजकीय नलकूपों के विरुद्ध एवं उन्हीं राजकीय नलकूपों के विद्युत विपत्रों के विरुद्ध किया जाना था जिनका बि.रा.वि.बो., तथा संबंधित राज्य नलकूप मंडल के अधिकारियों द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था।

लघु जल संसाधन विभाग के 14 प्रमंडलों के नमूना जाँच (दिसम्बर 2011 से जुलाई 2012) से उजागर हुआ कि बि.रा.वि.बो., ने बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए लघु जल संसाधन विभाग से ₹ 319.69 करोड़ का माँग किया था। तदनुसार अवर सचिव, ल.ज.सं.वि., पटना ने जुलाई 2010 से मार्च 2011 के बीच विपत्रों के आधार पर ₹ 313.65 करोड़ का केंद्रीकृत भुगतान कर दिया।

लघु जल संसाधन विभाग के उर्जा देय राशियों के उपभोक्ता—वार संवीक्षा से उजागर हुआ कि केन्द्रीकृत भुगतान में नमूना जाँचित जिलों में 2512 राजकीय नलकूपों के विरुद्ध में ₹ 169.34 करोड़ शामिल था। इसमें एक से 20 वर्षों तक विद्युतीय, यांत्रिक और जोड़ गड़बड़ी के कारण अक्रियाशील 548 राजकीय नलकूपों के विरुद्ध ₹ 37.51 करोड़ का भुगतान भी शामिल था। यह भी पाया गया कि किसी भी नमूना—जाँचित जिले में भुगतान के पूर्व संयुक्त भौतिक सत्यापन/अभिप्रमाणन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट 3.15**)। इसे इंगित किए जाने पर (दिसम्बर 2011 से जुलाई 2012), 14 प्रमंडलों के सभी कार्यपालक अभियंताओं ने कहा कि विभाग द्वारा केंद्रीकृत भुगतान किया गया था और बंद पड़े राजकीय नलकूपों के विच्छेदन के लिए कदम उठाए जा रहे थे। यहाँ तक कि सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, ने भी अपने जवाब (जुलाई 2013) में बकाया विद्युत विपत्रों के विरुद्ध केंद्रीकृत भुगतान किए जाने के तथ्य की पुष्टी की। भुगतान करने के पूर्व बकाये विपत्रों वाले राजकीय नलकूपों के संयुक्त भौतिक सत्यापन कराए जाने के बारे में आवंटन पत्र में विशेष शर्त का उल्लेख होने के तथ्य को भी उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित कार्यपालक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता को कारण—बताओ नोटिस जारी किया गया था कि किन परिस्थितियों में अकार्यशील नलकूपों के विरुद्ध भुगतान किया गया था। और अंत में, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मामला को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी पूर्ववर्ती बि.रा.वि.बो., के साथ उठाया जाएगा ताकि बि.रा.वि.बो. का विपत्रों के समायोजन के अलावा इस तरह की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक व्यवस्था कायम की जा सके।

⁶⁷ ₹ 25.00 करोड़ (पत्रांक संख्या ए.आई./बजट (एन.पी.) टी.डब्ल्यू. इलेक्ट्रीसीटी-28/06-13 दिनांक 30 जून 2010)+ ₹ 60 करोड़ (प.स. 38 दिनांक 27 अगस्त 2010) + ₹ 228.65 करोड़ (प.स. 114 दिनांक 24 मार्च 2011) = ₹ 313.65 करोड़

अतः बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को बकाया विद्युत विपत्रों का भुगतान करने से पूर्व राजकीय नलकूपों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के माध्यम से वास्तविक दायित्वों को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 548 अक्रियाशील राजकीय नलकूपों के विरुद्ध ₹ 37.51 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी से विद्युत विपत्रों के समायोजन संबंधी जानकारी के लिए मामला सरकार को पुनः प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2013); उनके जवाब अप्राप्त हैं (दिसम्बर 2013)।

पटना

दिनांक:

पी० डॉ० सिंह

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक:

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक